कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 1021 दिनांकः– 17.1.16

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **RGGVY के अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 का चौपारण ब्लॉक (चौपारण से चोरदाहा) तक 11 KV ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग का पत्रांक 2419 दिनांक 17.10.2016**

महाशय,

प्रासंगिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच प्रतियाँ प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव भारत सरकार के पत्रांक F.N. 72/07 RO (H.Q) दिनांक 09.07.2007 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में सरलीकृत प्रक्रिया के तहत् समर्पित किया गया है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग के प्रतिवेदन प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग ने इस संदर्भ मे सूचित किया है कि पूर्व में चौपारण ब्लॉक में 11 के0वी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 16.91965 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया था जिसमें वर्तमान प्रस्तावित होने वाले मौजा–चौपारण के प्लॉट संख्या–35,37 एवं मौजा बिगहा के प्लॉट संख्या–01 पूर्व में प्रस्तावित था। जिस पर गैर वानिकी कार्य हेतु भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त था। **परन्तु शेष मौजों यथा चौपारण के प्लॉट संख्या–21, 22, 33, 39 डोमाडांडी का प्लॉट संख्या–4, 8, 24, बिगहा 6/779, 7 एवं ताजपूर के प्लॉट संख्या संख्या–1, 56 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये कार्य कराया गया है।** यह सभी प्लॉट विषयांकित वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रस्तावित है। इस प्रकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में 4.473 हे0 हेतु नियमितिकरण का प्रस्ताव एवं 1.1592 हे0 हेतु नवीन प्रस्ताव समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव की स्थिति निम्नवत् है :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव विहित प्रपत्र में (पार्ट–I) संलग्न है।

D:\SUNIL\Proposal (K)\RGGVY\Chouparan to Chordaha) 11 KV Transmission line (5.6322 ha)

2. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल का (पार्ट–II) एवं स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।

3. मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग द्वारा भरा हुआ (पार्ट–III) अनुशंसा एवं स्थलीय निरीक्षण सहित संलग्न है।

4. Part-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज है तथा प्रस्ताव को Online कर Time Line प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

5. प्रस्ताव में प्रस्तावित भूमि निम्नवत है :–

प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वन भूमि का रकवा (हे0 में)	गैरमजरूआ खास जंगल झाड़ी के रूप में दर्ज वन भूमि का रकवा (हे0 में)	कुल प्रस्तावित वन भूमि का रकवा (हे0 में)
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल	5.3242	0.308	5.6322

6. यह प्रस्ताव हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत चौपारण प्रखण्ड में अवस्थित है।

7. इस परियोजना में कुल 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजित होने वाली है, जिसमें 5.3242 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 0.308 हे0 (जंगल–झाड़ी) अन्तर्ग्रस्त है।

8. प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी ग्रामवार/प्लॉटवार/रकबावार निम्नवत् है :–

<u>नियमितिकरण हेतु वन भूमि</u>

क0 सं0	मौजा का नाम	थाना/थाना संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (हे0 में)	अभियुक्ति
1	डोमाडाडी	चौपारण – 65	4, 8, 24	0.840	
2	चौपारण	चौपारण – 64	21, 22, 33, 39	1.855	
3	बिगहा	चौपारण – 67	6/779, 7	1.302	
4	ताजपूर	चौपारण – 61	1, 56	0.476	
		कुल :–		**4.473**	

<u>**फ्रेश वन भूमि**</u>

क0 सं0	मौजा का नाम	थाना/थाना संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (हे0 में)	अभियुक्ति
1	बिगहा	चौपारण – 67	01	0.308	
2	चौपारण	चौपारण – 64	35, 37	0.8512	
		कुल :–		**1.1592**	

9. प्रस्तावित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव नियमितिकरण से संबंधित है।

10. प्रस्ताव के साथ 1:50000 के पैमाने पर टोप्पो शीट संख्या–72एच/3 पर लोकेशन दर्शाते हुए संलग्न कर समर्पित किया गया है।

11. प्रस्ताव के साथ अंचल अधिकारी, चौपाराण के पत्रांक 194 दिनांक 23.02.2016 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में अपयोजित होने वाली सम्पूर्ण भूमि का सत्यापित भूमि संलग्न है।

12. प्रस्ताव के साथ उपयुक्त, हजारीबाग के पत्रांक 823/रा0 हजारीबाग दिनांक 16.03.2015 एवं पत्रांक 915 दिनांक 24.03.2015 द्वारा प्रस्ताव वनभूमि 5.6322 हे0 के संबंध में वनाधिकार अधिनियम 2006 अन्तर्गत निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

13. प्रस्ताव में 0.308 हे0 गैर मजरूआ जंगल–झाडी भूमि अर्न्तग्रस्त है, परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस संदर्भ में संबंधित उपायुक्त के स्तर से निर्गत होने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ **संलग्न नहीं** है। इस हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों/प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित किया जा रहा है।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0भी0 एवं क्षतिपूरक वनरोपण की राशि देने हेतु वचनबद्धता प्रमाण राशि जमा करने के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

15. प्रस्ताव वनभूमि अपयोजन के संबंध में स्पष्ट रूप से “purpose wise breakup of total land required” की विवरणी संलग्न है।

16. जिले एवं राज्य से संबंधित मूलभूत सूचनाएं प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

17. जैसा कि प्रतिवेदित है कि परियोजना के अन्तर्गत लोगो का विस्थापन (displacement) नहीं हो रहा है।

18. प्रस्तावित वन भूमि अपयोजन में वृक्षों की पातन नहीं किया जायेगा, से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

19. प्रस्तावित वन भूमि कैडस्ट्रल ग्राम मानचित्र एवं Land Schedule प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

20. प्रस्तावित वन भूमि का वनस्पति घवत्व 0.6 संलग्न है।

21. प्रस्तावित वन भूमि का GPS Co-ordinates प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

22. प्रस्तातित ट्रांसमिशन लाईन के कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। साथ ही वनभूमि में Minimum use हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

23. हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाईन, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी आश्रयणी से होकर नहीं गुजरता है, परन्तु विषयोक्ता प्रस्ताव के सम्पूर्ण लम्बाई का एक भाग गौतम बुद्धा वन्य प्राणी आश्रयणी से होकर जाता है, जिसके अपयोजन के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अलग से वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र अन्तर्गत 18.79 हे0 हेतु

वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव वन्य प्राणी प्रमंडल, हजारीबाग को समर्पित किया गया था। संबंधित अभिलेख प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

24. प्राधिकरण पत्र (Authorization Letter) प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

25. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र समर्पित किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के आलोक में भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा लगाए जाने वाले दण्डस्वरूप शर्त मान्य होंगे एवं अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

26. चूंकि विषयक प्रस्ताव वन्य प्राणी बहुल क्षेत्र से गुजरता है एवं इसका तीन चौथाई हिस्सा वन्य प्राणी आश्रयणी से गुजरता है। ऐसे में निरन्तर वन्य प्राणियों पर दुष्प्रभाव का खतरा बना रहेगा। इस खतरे को कम करने हेतु Comprehensive Wild Life Management scheme बनाना उचित होगा, जिसका क्रियान्वयन प्रयोक्ता अभिकरण से कराया जाना चाहिए, ऐसी अनुशंसा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग द्वारा की गई है। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का मंतव्य अपेक्षित है। अतः इस संबंध में उनसे मंतव्य की मांग की जा रही है। प्राप्त होने पर अलग से भेज दिया जायगा।

27. इस परियोजना हेतु अपयोजित होने वाली कुल 5.6322 हे0 वनभूमि के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि (5.6322 X 2 = 11.2644) के विरूद्ध कुल 25 हे0 मौजा चौपारण, जिला–हजारीबाग, थाना–चौपारण एवं थाना नं0–64 के प्लॉट नं0–21 को C.A हेतु चयन किया गया है। प्रस्ताव के साथ C.A हेतु चयनित अवकृष्ट वनभूमि का नक्शा 10 वर्षीय योजना, प्राकल्लन एवं Suitability प्रमाण पत्र संलग्न है।

28. इस परियोजना अपयोजन हेतु वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों के मंतव्य से अधोहस्ताक्षरी सहमत है। मानक शर्त्तों पर लोकहित में इस परियोजना प्रस्ताव हेतु कुल 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजन के लिए नियमितिकरण हेतु अनुसंशा की जाती है।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजते हुए अनुरोध है कि कुल 5.6322 हे0 वनभूमि नियमितिकरण हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ

विश्वासभाजन

17/11/16

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

D:\SUNIL\Proposal (K)\RGGVY\Chouparan to Chordaha) 11 KV Transmission line (5.6322 ha)

16.11.16

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

RGGVY 11 KV TL CHAUPARAN TO BLOCK 5.6322 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 5.6322_ha. Forest land.

Date :- 17.11.2016

Place :- Ranchi

Signature

17/11/16

(RAMESH RAMSAI HEMBROM)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests
-cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)